

प्रेस नोट दिनांक 07.12.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

□थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये आदेश/निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक आपरेशन श्री अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसौदिया कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चकिया अतुल कुमार द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर दिनांक 05.12.2024 को थाना चकिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0223/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. शौकत अली उर्फ हारून पुत्र अलीजान 2. सुनील चौहान उर्फ बाबू पुत्र ओमप्रकाश निवासीगण ग्राम मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली को मोहम्मदाबाद तिराहे के आगे चन्दौली रोड स्टैण्ड से गिरफ्तारी किया गया तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.शौकत अली उर्फ हारून पुत्र अलीजान निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 2.सुनील चौहान उर्फ बाबू पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम मोहम्मदाबाद थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1.अभियुक्त शौकत अली उर्फ हारून-

- 1-मु0अ0सं0 201/24 धारा 303(2)/317(2) भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 2-मु0अ0सं0 223/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.अभियुक्त सुनील चौहान उर्फ बाबू-

- 1-मु0अ0सं0 201/24 धारा 303(2)/317(2) भादवि थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 2-मु0अ0सं0 223/24 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली
- 3-मु0अ0सं0 243/2017 धारा 363/366/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।
उ0नि0 परमानन्द त्रिपाठी थाना चकिया जनपद चन्दौली।
हे0का0 नन्दलाल सरोज थाना चकिया जनपद चन्दौली।

थाना साइबर क्राइम चन्दौली

□ थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा आवेदक के साथ फ्राड किये गये धनराशि -5000/- रुपये वापस कराये गये।

पुलिस अधीक्षक चन्दौली श्री आदित्य लांगहे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह एवं पुलिस उपाधीक्षक राजीव कुमार सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन में प्रभारी साइबर क्राइम थाना गगन राज सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही के चलते आवेदक के साथ आनलाइन फ्राड किये गये धनराशि 5000/- रुपये वापस कराये गये।

घटना का विवरण-दिनांक 04.12.2024 को आवेदक के मोबाइल नम्बर पर एक व्यक्ति का फोन आता है और वह कहता है कि आपके खाते पर 5000/- रुपये भेजने के लिए कहा गया था किन्तु फ्राड करने वाले व्यक्ति की गलती से 10000/- रुपये चले गए हैं अब आवेदक 5000/- रुपये वापस कर दिया। बाद में आवेदक द्वारा खाते का बैलेंस चेक करने से ज्ञात हुआ कि उसके साथ आनलाइन फ्राड हो गया है।

जिसके सम्बन्ध में श्री आनन्द यादव उपरोक्त द्वारा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया। इसी क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए आवेदक के खाते से निकाली गयी धनराशि 5000/- रुपये को आवेदक के खाते में वापस करायी गयी।

आवेदक श्री आनन्द यादव उपरोक्त द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली, अपर पुलिस अधीक्षक सदर, पुलिस उपाधीक्षक थाना साइबर क्राइम प्रभारी एवं साइबर क्राइम टीम जनपद चन्दौली का आभार व्यक्त किया।

आवेदक का नाम/पता -

श्री आनन्द यादव पुत्र विजय कुमार यादव निवासी ग्रा0 शिवपुर पो0 सकलडीहा थाना व जनपद-चन्दौली

विवरण बरामदगी:-

दिनांक – 07.12.2024 वापस करायी गयी धनराशि रुपया 5000/-

दिनांक घटना- 04.12.2024

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम ---

नि0 गगन राज सिंह (प्रभारी साइबर क्राइम थाना)

हे0का0 पवन यादव

का0 अनिल कुमार

का0 आशुतोष भारद्वाज

का0 सन्तोष कुमार यादव

का0 राहुल यादव

का0 मो0 नौशाद

का0 राहुल सिंह